UPUN010034832026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, कोर्ट सं0–4 उन्नाव।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1456/2026

राम किशोर बनाम राज्य,

अपराध सं0–225/2020,
धारा–138बी. भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–उन्नाव।

दिनांक–04.06.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त राम किशोर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र रामऔतार अपराध सं0–225/2020 धारा–138बी. भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जनपद–उन्नाव के मामले में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा ने एक रिपोर्ट थाना एण्टी पावर थेफ्ट, उन्नाव में इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 19.01.2020 को समय 11.30 बजे से 4.00 बजे के मध्य वादी मुकदमा मय हमराह कर्मचारी श्री मंगल सिंह टी0जी0–2 एवं विद्युत उपकेन्द्र औरास में विद्युत चोरी की रोकथाम एवं राजस्व वृद्धी हेतु थाना औरास क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत चेकिंग की गयी तो उपभोग कर्ता राम किशोर द्वारा संयोजन सं0–76161471449 बकाया धनराशि 23,904.00 रूपये जोकि पूर्व में दिनांक 17.12.2019 को बकाया पर विद्युत विच्छेदन कर दिया गया था उक्त उपभोक्ता द्वारा बिना बकाया धनराशि जमा किये अनाधिकृत रूप से एल0टी0 लाइन से जोड़कर विद्युत उपभोग करते पाया गया जिस के लिये सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि, प्रार्थी बेगुनाह है अदावतन मुकदमा हाजा में सरासर झूँठा साजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार की कोई विद्युत चोरी नहीं किया है। प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन था परन्तु बकाया अधिक होने पर प्रार्थी उसे समय से जमा नहीं कर सका था। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में गलत तथ्य दर्शाकर झूठा मुकदमा लिखाकर फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से राय मशविरे के बाद गलत तथ्यों पर दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी ने विद्युत विभाग के शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया है अब किसी प्रकार का विद्युत विभाग का प्रार्थी पर कोई बकाया नहीं है। प्रार्थी शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा की रसीदे जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। प्रार्थी पर पूर्व में इस तरह का कभी कोई मामला नहीं चला है। प्रार्थी का यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत सत्र न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष है। प्रार्थी का अन्य कोई प्रार्थना पत्र जमानत सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ में नहीं दिया गया है न खारिज हुआ और न विचाराधीन है। प्रार्थी बाद जमानत

छूटने पर न कहीं भागेगा और न गवाहान सबूत पर बेजा असर डालेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दौरान मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे।

4— विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5— विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6— पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आत्मसमपर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा विद्युत विभाग के शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया है अब किसी प्रकार का विद्युत विभाग का प्रार्थी पर कोई बकाया नहीं है। प्रार्थी शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा की रसीदे जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7— अतः ऐसी स्थिति में उभयपक्षों के तर्कों, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण—दोष पर कोई मत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त राम किशोर का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—1456/2026, मु0अ0सं0—225/2020, धारा—138बी. भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना—एण्टी पावर थेफ्ट, जनपद—उन्नाव स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को मु0—20,000 रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान राशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय कि अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे कि—

1— अभियुक्त वाद के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग देगा और दौरान विचारण वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हो कोई स्थगन नहीं लेगा, यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2— अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आरोप एवं बयान अन्तर्गत धारा 313 दर्ज किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहेगा।

दिनांक—04.06.2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट
कोर्ट सं0 4, उन्नाव।